भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 408
दिनांक 03 दिसंबर, 2025 / 12 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना

408 श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना निर्धारित समयानुसार लागू किया गया है;

(ख) वर्ष 2023-2024 में कितनी नई फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ स्वीकृत की गई हैं;

(ग) क्या जनशक्ति की कमी बनी हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): जी हाँ। भारत सरकार ने ₹2254.43 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2024 में राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को मंजूरी दी है जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक लागू किया जाना है। वर्ष 2023 और 2024 में 08 नई केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

(ग) और (घ): रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। हालांकि, गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में रिक्ति की स्थिति की समीक्षा की गई है और कार्यबिंदुओं की पहचान की गई है, जिसमें पदों को भरना और भर्ती नियमों को सुव्यवस्थित करना शामिल है। अंतरिम व्यवस्था के रूप में, आवश्यक वैज्ञानिक जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए, संविदात्मक आधार पर केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में फोरेंसिक विशेषज्ञों को नियोजित किया गया है। भारत सरकार ने फोरेंसिक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की

स्थापना की है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए वार्षिक आधार पर फोरेंसिक योग्यता और कैलिबर टेस्ट (एफ.ए.सी.टी) भी आयोजित करता है, जिन्हें फिर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने रिक्तियों को भरने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श भी जारी किया है।

*****